

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
राज्य स्तरीय नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी व अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) चयन आयोग
क्रमांक:-एफ10(छ)भती.आयोग/डीएलबी/15/ दिनांक:

निदेशक
जनसम्पर्क निदेशालय
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:- संशोधित विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग द्वारा राज्य की नगरीय निकायों में विभिन्न संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से डीआईपीआर संख्या 10129, 10130 एवं 10131 दिनांक 29.01.2016 द्वारा विज्ञप्ति संख्या 1 से 3 का प्रकाशन करवाया गया था, जिसमें संलग्नानुसार संशोधित विज्ञप्ति का प्रकाशन दो समाचार पत्र यथा राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के समस्त संस्करणों के दिनांक 13 जनवरी 2016 को प्रकाशित होने वाले अंक में करवाने का श्रम करें।

संलग्न:-संशोधित विज्ञप्ति

Programmer

17/1/2016

क्रमांक:-एफ10(छ)भती.आयोग/डीएलबी/15/315-319 दिनांक: 12-01-2016
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि जनसम्पर्क निदेशालय में व्यक्तिगत सम्पर्क दिनांक 13.01.2016 के संस्करण में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. सीएमएआर निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित विज्ञप्ति को संबंधित साईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
3. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित विज्ञप्ति को विभागीय साईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
4. कार्यालय अधीक्षक(संस्थापन) को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

sd
सचिव

राज्य स्तरीय नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी व अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) चयन आयोग

राजस्थान नगर पालिका(प्रशासनिक एवं तकनीकी) व (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग
जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, नीयर सिविल लाईन फाटक जयपुर

क्रमांक:एफ10(छ)/भर्ती आयोग/डीएलबी/15/ 314

दिनांक:- 12-01-2016

संशोधित विज्ञप्ति

आयोग द्वारा राज्य की नगरीयनिकायों में विभिन्न संवर्ग की भर्ती हेतु दिनांक 30.12.2015 को जारी विज्ञप्ति संख्या 1 व विज्ञप्ति संख्या 2 और विज्ञप्ति संख्या 3 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

विज्ञप्ति संख्या 1 - क्रमांक:एफ10(छ)/भर्ती आयोग/डीएलबी/15/2009 दिनांक 30.12.2015 में विज्ञापित पदों के क्रम संख्या 3,4,5,11,12,13,14 एवं 15 में वर्णित पदों की दिनांक 01 जनवरी 2016 के स्थान पर 01 जनवरी 2017 व अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 37 वर्ष पढा जावें।

कम संख्या 6 पर अंकित स्वास्थ्य अधिकारी (साधारण वेतनमान) के पद की दिनांक 01 जनवरी 2016 के स्थान पर 01 जनवरी 2017 व अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष पढा जावे।

विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6 में आयु संबंधी छूट के प्रावधान संख्या 7 में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के साथ साथ राज्य की नगरीय निकाय भी पढा जावे।

विज्ञप्ति संख्या 02:- क्रमांक:एफ10(छ)/भर्ती आयोग/डीएलबी/15/2011 दिनांक 30.12.2015 में विज्ञापित बिन्दु संख्या 6 (1) में 01 जनवरी 2016 के स्थान पर 01 जनवरी 2017 व अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 37 वर्ष पढा जावे।

विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6 में आयु संबंधी छूट के प्रावधान संख्या 8 में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के साथ साथ राज्य की नगरीय निकाय भी पढा जावे।

विज्ञप्ति संख्या 03:- क्रमांक:एफ10(छ)/भर्ती आयोग/डीएलबी/15/2010 दिनांक 30.12.2015 में विज्ञापित बिन्दु संख्या 6 (1) में 01 जनवरी 2016 के स्थान पर 01 जनवरी 2017 व अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 37 वर्ष पढा जावे।

विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6 में आयु संबंधी छूट के प्रावधान संख्या 8 में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के साथ साथ राज्य की नगरीय निकाय भी पढा जावे।

सचिव

राजस्थान नगर पालिका(प्रशासनिक एवं तकनीकी) व
(अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग